तत्काल
तिथिबद्ध

क्रमांक 46/5/93–5पोल01
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग
(राजनैतिक शाखा)

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2025

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी मंडलायुक्त ।
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।

विषय : 23 सितम्बर, 2025 को 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' मनाने बारे ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 9/5/82–पोल(5पी), दिनांक 28 जुलाई, 1982 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि सरकार ने निर्णय लिया है कि गत वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी 23 सितम्बर का दिन **'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस'** के रूप में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाये और इस दिन प्रत्येक जिले में जनसभायें, समारोह, गोष्ठियां आदि आयोजित करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाये । शहीदों के परिवारों तथा युद्ध में वीरता पुरस्कार पाने वालों को स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर यथावत् सम्मानित किया जाये। इस समारोह में स्वतन्त्रता सेनानियों एवं कारगिल युद्ध के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमन्त्रित किया जाये ।

2. आपसे अनुरोध है कि इन समारोहों के आयोजन बारे जिला स्तर पर भली–भांति प्रचार किया जाये तथा समारोहों के आयोजन का प्रेस विज्ञप्ति को भी पूर्ण विवरण दिया जाये ।

भवदीय
अशोक
अधीक्षक, राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ0 क्रमांक : 46/5/93–5पोल01

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2025

3. एक–एक प्रति हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतू भेजी जाती है।

अशोक
अधीक्षक, राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ0 क्रमांक : 46/5/93–5पोल01 दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2025

4. एक–एक प्रति माननीय मुख्य मंत्री/माननीय मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/विशेष कार्य अधिकारियों/मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य पदाधिकारियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के मुख्य स्टाफ अधिकारी/विशेष वरिष्ठ सचिवों/वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजी सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अशोक

अधीक्षक, राजनैतिक

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ0 क्रमांक : 46/5/93–5पोल01 दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2025

5. अवर सचिव, हरियाणा सरकार, न्यायाचार एवं प्रचार विभाग ।

अशोक

अधीक्षक, राजनैतिक

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ0 क्रमांक : 46/5/93–5पोल01 दिनांक चण्डीगढ 21 सितम्बर, 2025

6. एक प्रति महानिदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई के लिये भेजी जाती है ।

अशोक

अधीक्षक, राजनैतिक

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार